



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/ United Bank of India

प्रधान कार्यालय: 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

दूरभाष / Telephone: (033) 2248 7471

फैक्स/ Fax: (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website : www.unitedbankofindia.com

पोस्टल बैलेट फार्म / POSTAL BALLOT FORM

क्रमांक/Sr. No.

एकल / प्रथम शेयरधारक का नाम और पता

Name & Address of Sole/First Shareholder:

संयुक्त शेयरधारक(कों), का/के नाम, यदि कोई हो

Name(s) of Joint Shareholder(s), if any:

पंजीकृत फोलियो सं/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी

Registered Folio No./DP ID-Client ID:

धारित शेयरों की संख्या

Number of Shares held:

मैं/हम एतद्वारा पोस्टल बैलेट दिनांक 25 फरवरी, 2019 की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय पर पोस्टल बैलेट द्वारा पारित होने वाले विशेष संकल्प के संबंध में उक्त संकल्प के अनुरूप मेरी/हमारी सहमति या असहमति प्रकट करते हुए अधोलिखित बॉक्स में चिह्नित (✓) कर, वोट करता हूँ/करते हैं।

I/We hereby cast my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed by Postal Ballot on the business stated in the Notice for Postal Ballot dated February 25, 2019 by conveying my/our assent or dissent to the said resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below:

	विवरण Description	वोट दिए गए शेयरों की सं. No. of Shares for which vote cast	मैं/हम संकल्प की सहमति देता हूँ / देते हैं (के लिए) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/हम संकल्प की असहमति देता हूँ / देते हैं (विरुद्ध) I/We dissent to the Resolution (Against)
	विशिष्ट/विशेष व्यवसाय/ Special Business			
1.	नकट के लिए अधिमानी आधार पर प्रीमियम सहित इस तरह के मूल्य पर सृजन, प्रस्ताव, जारी एवं आबंटन करने हेतु अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक (रू. दस मात्र) के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या, यदि कोई हो, तो सेबी के विनियमन (जारी पंजी प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आई सी डी आर विनियम) के अध्याय V के अंतर्गत विनियम 164 के अनुसार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को तरजीह के आधार पर रू. 2,839 करोड़ कुल से अधिक नहीं निर्धारित किया जा सकता है। To create, offer, issue and allot to the President of India acting on behalf of the Government of India, such number of equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 not exceeding Rs. 2,839 cr. (Rupees Two Thousand Eight Hundred Thirty Nine crore) including premium, on preferential basis for cash.			

स्थान/ Place:

दिनांक/ Date:

नामित / एकमात्र शेयरधारक का हस्ताक्षर

Signature of the Sole/First named shareholder

नोट / NOTE : कृपया फार्म को भरने से पहले पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित अनुदेश को पढ़ें। संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलेट फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 28 मार्च, 2019, 05:00 बजे अपराह्न तक है। / Kindly read the instructions printed overleaf before filling up the form. Last date for receipt of Postal Ballot Forms by the Scrutinizer is Thursday, March 28, 2019 upto 05:00 P.M.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीएसएन/ EVSN	यूजर आईडी/ User ID	सीक्वेंसंसं / Sequence No.	दिन/माह/वर्ष में डिफॉल्ट जन्म तिथि या लाभांश बैंक ब्योरा (जहां जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है)/ / Default DOB in dd/mm/yyyy or Dividend Bank Details (Where DOB is not registered)
190221004			

ई-मतदान बुधवार, 27 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आरंभ होगा
e-voting begins on Wednesday, February 27, 2019 at 10.00 A.M.

ई-मतदान गुरुवार, 28 मार्च, 2019 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगा
e-voting ends on Thursday, March 28, 2019 at 05:00 P.M.

कृपया ई-मतदान ब्योरा के लिए पोस्टल बैलेट सूचना में बिंदु सं. 17 का उल्लेख करें/Please refer to point no.17 in the Postal Ballot Notice for details on e-voting.

अनुदेश/INSTRUCTIONS

- पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा करें एवं हस्ताक्षरित करें और स्वनामांकित व्यवसाय उत्तर लिफाफा में संवीक्षक को भेजें। डाक व्यवस्था बैक द्वारा वहन किया जाएगा। पोस्टल बैलेट वाला लिफाफा, अगर शेयरधारक द्वारा अपने व्यवसाय पर संवीक्षक को अन्य तरीकों से भेजा जाता है जैसे कूरियर, पोस्ट, स्पीड पोस्ट तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। / A Shareholder desiring to exercise his/her voting rights through Postal Ballot should complete this Postal Ballot form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed Business Reply Envelope. Postage cost shall be borne by the Bank. Envelope containing Postal Ballot, if sent by other modes e.g. courier, post, speed post to the Scrutinizer at the expense of the shareholder, shall also be accepted.
- वैकल्पिक रूप से, पोस्टल बैलेट नोटिस की बिंदु सं. 17 में प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। / Alternatively, a Shareholder may vote through electronic mode as per the instructions for e-voting provided in Point No. 17 of the Postal Ballot Notice.
वोट की पात्रता निर्धारित करने के लिए तय की गई निर्दिष्ट तिथि शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 और पोस्टल बैलेट एवं ई-वोटिंग दोनों द्वारा मतदान के लिए गणना की तारीख होगी। निर्दिष्ट तिथि तक शेयरधारक द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। / The cut-off date fixed for determining eligibility to vote is Friday, February 22, 2019 and shall be the date reckoned for voting both by Postal Ballot and e-voting. Each share held by the shareholder as on the cut-off date shall carry one vote.
- स्वनामांकित लिफाफा पर बैक द्वारा नियुक्त संवीक्षक के पते का व्यवहार किया जाना चाहिए और यही वह पता है जिस पर पोस्टल बैलेट फॉर्म भिन्न तरीके से भेजे जाने चाहिए। / The self-addressed envelope bears the address of the Scrutinizer appointed by the Bank, and that is the address to which the Postal Ballot Forms should be sent otherwise.
- पोस्टल बैलेट फॉर्म शेयरधारकों द्वारा पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। संयुक्त शेयरधारक के मामले में, फॉर्म को पहले नामित शेयरधारक द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित (बैंक/आरटीए के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) किया जाना चाहिए। / The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholders. In the case of joint share holding, the form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank/RTA) by the surviving first named shareholder.
- संस्थान शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एक्ज्यूटिव, एनआरआई इत्यादि के अलावा), जो वोट करने के लिए अधिकृत है, विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणिक नमूना हस्ताक्षर (ओ) के साथ बोर्ड संकल्प / अधिकृत पत्र इत्यादि को एक प्रमाणित सत्य प्रति के साथ विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजेंगे। / Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) shall send duly completed Postal Ballot Form accompanied by a certified true copy of Board Resolution/ Authority Letter etc. with attested specimen signature(s) of the duly authorised signatory(ies) who are authorized to vote.
- पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के धारक पोस्टल बैलेट फॉर्म पर बैक / आरटीए के साथ पंजीकृत पीओए की पंजीकरण संख्या का उल्लेख या पीओए के नोटरी की प्रति संलग्न कर मतदान करें। / Holders of Power of Attorney (PoA) shall vote on the Postal Ballot Form mentioning the Registration No. of the PoA registered with the Bank/RTA or attach notarized copy of the PoA.
- प्रॉक्सी के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। / The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.
- "मैं/हम संकल्प को सहमत होता हूँ/हमें है (के लिए)" के कॉलम में सहमति या "मैं/हम संकल्प को असहमत होता हूँ/हमें है (विरुद्ध)" के कॉलम में असहमति (✓) चिह्न देकर प्रदान करें। किसी अन्य रूप में दी गई सहमति या असहमति को मान्य नहीं माना जाएगा। / The consent must be accorded by recording the assent in the column 'I/ We assent to the resolution (For)' or dissent in the column 'I/ We dissent to the resolution (Against)' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column in the Postal Ballot Form. The assent or dissent received in any other form shall not be considered valid.
- विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास गुरुवार, 28 मार्च, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक पहुंचना चाहिए। कोई भी पोस्टल बैलेट फॉर्म उल्लिखित समय और तारीख के बाद प्राप्त होने पर खारिज कर दिया जाएगा। / Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019. Any Postal Ballot Form received after the said time and date shall stand rejected.
- शेयरधारक के वोट को निम्न में से किसी भी आधार पर अमान्य माना जाएगा यदि / The vote of a shareholder shall be considered invalid on any of the following grounds if:
 - पोस्टल बैलेट फॉर्म को शेयरधारक द्वारा या उसके ओर से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है / the Postal Ballot form has not been signed by or on behalf of the shareholder;
 - शेयरधारक का हस्ताक्षर बैंक/आरटीए के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल नहीं खाता है / the shareholder's signature does not tally with the specimen signature registered with the Bank/RTA;
 - शेयरधारक ने संकल्प के लिए 'सहमति' और 'असहमति' हेतु इम तरह से वोट दिया है कि शेयर धारित के कुल संख्या से 'सहमति' और 'असहमति' के लिए कुल शेयर मतदान की संख्या से अधिक है। / the shareholder has marked his / her / its vote both for 'Assent' and also for 'Dissent' to the 'Resolution' in such a manner that the aggregate shares voted for 'Assent' and 'Dissent' exceeds total number of shares held;
 - न तो सहमति और न ही असहमति का उल्लेख किया गया है / Neither assent nor dissent is mentioned
 - शेयरधारक ने अपने वोट का उपयोग करते समय संकल्प में कोई संशोधन किया है या किसी शर्त को लगाया है / the shareholder has made any amendment to the resolution or imposed any condition while exercising his vote.
 - पोस्टल बैलेट फॉर्म अधूरा या गलत भरा हुआ है / the Postal Ballot Form is incomplete or incorrectly filled;
 - पोस्टल बैलेट फॉर्म फटा या विकृत या खराब प्राप्त हुआ है जिससे संवीक्षक के लिए शेयरधारक या वोटों की संख्या, या वोट 'सहमति' या 'असहमति' या यदि हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किया जा सका, या उपर्युक्त आधारों में से एक या अधिक / the Postal Ballot Form is received torn or defaced or mutilated such that it is difficult for the Scrutinizer to identify either the shareholder or the number of votes, or whether the votes are for 'Assent' or 'Dissent', or if the signature could not be verified, or one or more of the above grounds;
 - बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म का उपयोग किया जाता है / the form other than the one issued by the Bank is used;
 - इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पहले ही मतदान किया गया हो / voting already done through electronic mode;
 - सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक के मतदान अधिकारों को फ्रीज करने के लिए बैंक को लिखित में निर्देश दिया हो / a competent authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder.
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट फॉर्म को अमिट स्थायी से भरे और पेंसिल जैसे मिटाने योग्य लेखन माध्यमों का उपयोग न करें। / Shareholders are requested to fill the Postal Ballot Form in indelible ink and avoid using erasable writing medium(s) like pencil.
- यदि आवश्यक हो तो, शेयरधारक डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है। हालांकि, विधिवत भरा डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म, विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले संवीक्षक के पास पहुंचना चाहिए। / Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the last date and time fixed for receipt of duly completed Postal Ballot Form.
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अधीन, शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरों की संख्या पर मतदान अधिकारों की गणना, शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 पर की जाएगी, जो कि इम उद्देश्य के लिए निर्धारित निर्दिष्ट तारीख है। / Voting rights will be reckoned on the number of shares registered in the name of the Shareholder on Friday, February 22, 2019, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न स्वयं संबोधित पोस्टेज प्रिपेड लिफाफा में बैलेट फॉर्म के साथ अन्य कोई दस्तावेज न भेजें। लिफाफे में पाए जाने वाले अनावश्यक / अतिरिक्त दस्तावेज को बिना किसी संदर्भ के संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। / Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Unnecessary/extra paper if found in the envelope would be destroyed by the Scrutinizer without referring to the same.
- संयुक्त शेयरधारक की संख्या के बावजूद प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक पोस्टल बैलेट फॉर्म होगा। / There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).
- शेयरधारक को सभी वोटों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें सभी वोटों को एक ही तरह डालने की जरूरत है। / Shareholder need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.
- पोस्टल बैलेट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। / The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.
- संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया गया है, तो उसे गुरुवार, 28 मार्च, 2019, को पारित किया जाएगा, अर्थात् विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि। / Resolution, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on Thursday, March 28, 2019, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
- पोस्टल बैलेट का नतीजा प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा या उनके अनुपस्थिति में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी किसी भी पूर्णकालिक निदेशक द्वारा शनिवार, 30 मार्च, 2019 को अपराह्न 05:00 बजे, या पहले, बैंक के प्रधान कार्यालय में घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों में प्रसारित करने के साथ-साथ बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल के वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। / The result of Postal Ballot shall be declared by the Managing Director & CEO or in his absence by any of the Wholtime Directors of the Bank as authorized by the Board of Directors on or before 5.00 pm, Saturday, March 30, 2019, at the Bank's Head Office and displayed on the websites of the Bank www.unitedbankofindia.com and CDSL www.evotingindia.com beside being disseminated to the Stock Exchanges.